COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: १२०१८ निगरानी

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/0443

(445)

दिनांक 15-1-18 को श्री प्रकरण के आवेदक द्वारा प्रस्तुत। 15-1-18

पं०ति० 22-1-18

१- भगवान सिंह ।
२- देशराज सिंह ।
३- परसराम सिंह ।

पुत्रगण जुडावन सिंह, निवासीगण ग्राम रावबरैठी, तैहसील मैहगांव जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

------- प्राथीगण

बिरुध्द

१- रसाल सिंह पुत्र गंगा सिंह,
२- पृथ्वी पाल सिंह पुत्र गंगा सिंह,
निवासीगण ग्राम रावबरैठी, तैहसील-मैहगांव जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) ।

------ प्रतिप्राथीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय मैहगांव दिनांक ८-६-२०१७ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९।प्र०क्र० ६३।१५-१६ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारोपर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रतिप्राथीगण द्वारा तहसील न्यायालय के दो पृथक पृथक प्रकरणों में पृथक पृथक पारित आदेश के बिरुध्द एक ही अपील प्रस्तुत है । कानूनन दो-दो आदेशों के बिरुध्द एक ही प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य न होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि ...

XXIX(a)-BR(H)-11

(445)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/443

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	